

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 529] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1978/अग्राहायण 9, 1900
No. 529] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1978/AGRAHAYANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1978

(रबड़ निर्माण)

का. आ. 689 (अ).—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 13 की उप-
धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य
मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 608 (इ.) दिनांक 6 अगस्त 1977 में एतद्वारा

निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “नवम्बर 1978 के 30वें दिन तक की अवधि के लिए” अक्षरों तथा शब्दों के स्थान पर “आगामी आवेश होने तक” शब्द रखे जाएंगे।

[फाइल सं. 16(4)/78-प्लांट(बी)]

टी. बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1978

(RUBBER CONTROL)

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 608(E), dated the 6th August, 1977, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words “for a period upto the 30th day of November, 1978,” the words “until further orders” shall be substituted.

[File No. 16(4)/78-Plant (B)]

T. BALAKRISHNAN, It. Secy.